रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256151 CG-DL-E-07082024-256151

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3035]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

No. 30351

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का.आ. 3184(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 71(अ) तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा, एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

4947 GI/2024 (1)

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 71(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 71(अ) तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा, प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

**"5. निगरानी समिति.** – (1) केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थातु: -

(i)	आयुक्त, पटना, राजस्व प्रभाग, पटना	- अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	खनन औऱ भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(iii)	पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य, पदेन;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	- सदस्य;
(vi)	बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	- सदस्य;
(vii)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना सर्कल का एक प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
(viii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक सदस्य	- सदस्य, पदेन;
(ix)	प्रभागीय वन अधिकारी, जिला नालंदा वन प्रभाग	- सदस्य सचिव, पदेन।"

- (2) निगरानी सिमिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
- (3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी सिमित द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

- (4) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम. 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (5) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ. उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जुन तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/29/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. स्. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 10 जनवरी, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 71(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2024

S.O. 3184(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Rajgir Wildlife Sanctuary, Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.71(E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 71(E), dated the 10th January, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 71(E), dated the 10th January, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i) The Commissioner of Patna, Revenue Division, Patna

Chairman, ex officio;

One representative of Department of Mines and Geology, (ii)

Member, ex officio;

Government of Bihar

(xi)

Member-Secretary.

One representative of Department of Tourism, Government of (iii) Member, ex officio; (iv) Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board Member, ex officio; One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment, (including heritage (v) Member; conservation) to be nominated by the Government of Bihar for three years. One expert in the area of ecology and environment to be (vi) Member; nominated by the Government of Bihar for three years. One representative of Archaeological Survey of India, Patna (vii) Member, ex officio; Circle. (viii) One Member from State Biodiversity Board Member, ex officio;

Divisional Forest Officer, District Nalanda Forest Division

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in Sub-Paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro forma specified in **Annexure-III**, appended to this notification.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/29/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

**Note.--**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 71 (E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2017.